

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 106 / 2010 / भीलवाड़ा.
2. अपील संख्या – 107 / 2010 / भीलवाड़ा.
3. अपील संख्या – 108 / 2010 / भीलवाड़ा.
4. अपील संख्या – 109 / 2010 / भीलवाड़ा.

मैसर्स ए इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (पूर्व नाम—श्री पाईप्स लिमि.)
हमीरगढ़ जिला भीलवाड़ा.

.....अपीलार्थी.

बनाम

1. वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, भीलवाड़ा.
2. उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर, उदयपुर.

.....प्रत्यर्थी.

खण्डपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

श्री मदन लाल, सदस्य

उपस्थित : :

श्री एम. एल. पाटौदी, अभिभाषक

.....अपीलार्थी की ओर से.

श्री एन. एस. राठौड़,

उप—राजकीय अभिभाषक


.....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 24 / 02 / 2014

निर्णय

ये चारों अपीलें अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, उदयपुर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 193, 194, 195 व 196 / आरएसटी / 07-08 में पारित किये गये संयुक्तादेश दिनांक 30.10.2009 के विरुद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे 'वेट अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी हैं। इन चारों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से चारों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जाकर निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक-पृथक रखी जा रही है।

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी कम्पनी ए.सी. प्रेशर पाईप्स व FAP पाईप्स विनिर्माण में कार्यरत है। अपीलार्थी द्वारा ए.सी. प्रेशर पाईप्स की करमुक्ति विक्रय दर्शायी गयी है तथा कच्चे माल की खरीद राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा जायेगा) की धारा 10(1) के तहत घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन से रियायती दर @ 3% से की है, जबकि राज्य सरकार की अधिसूचना संख्या एफ.4(25)एफडी / गुप-IV / 92 दिनांक 28.9.95 अनुसार करमुक्त माल के विक्रय के लिये कच्चे माल की खरीद 4% कर दर व अधिभार पर ही की जा सकती थी, इसलिए कर निर्धारण अधिकारी ने आलौच्य अवधियों में पूर्व कर निर्धारण आदेशों को अधिनियम की धारा 30 के तहत पुनः खोलते हुए पृथक-पृथक पारित आदेश दिनांक 6.2.2008 से निम्न सारणी अनुसार कर मय अधिभार, ब्याज व शास्ति आरोपित की है :-



लगातार.....2

अपील संख्या	अवधि	कर मय अधिभार	ब्याज	शास्ति	योग
106/10	2002-03	8,528	5,970	17,056	31,554
107/10	2003-04	34,983	19,764	69,966	1,24,713
108/10	2004-05	1,02,136	40,854	2,04,272	3,47,262
109/10	2005-06	1,58,050	44,240	3,16,100	5,18,390

कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों से क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अधिनियम की धारा 65 के तहत आरोपित शास्तियों को अपास्त करते हुए शास्ति के बिन्दु पर अपीलें स्वीकार की तथा कर मय अधिभार व ब्याज के बिन्दु पर अपीलें अस्वीकार करते हुए कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि की। अपीलीय आदेशों से असहमत होते हुए शास्ति के बिन्दु पर विभाग द्वारा द्वितीय अपीलें प्रस्तुत की गई थी, जबकि कर/अधिभार व ब्याज के बिन्दु पर अपीलार्थी द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गई हैं। विभाग द्वारा शास्ति के बिन्दु पर प्रस्तुत अपील संख्या 616 व 617/2010/भीलवाड़ा सम्बन्धित वर्ष 2002-03 व 2003-04 का निस्तारण निर्णय दिनांक 23.8.2011 से करते हुए समन्वयपीठ द्वारा अपास्त की जा चुकी हैं।

वर्तमान अपीलों के लिये उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 30 के तहत कार्यवाही प्रारम्भ कर क्रय कर अधिभार आरोपित किया गया है, जबकि धारा 30 के तहत करारोपण से बचे हुए टर्नओवर पर ही किया जा सकता है। नियमित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष प्रकरण के सभी तथ्य उपलब्ध थे, जिनके आधार पर नियमित कर निर्धारण अधिकारी ने अन्तर क्रय कर आरोपित नहीं किया था। कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष कोई नया तथ्य नहीं आया है, इसलिए मत भिन्नता के आधार पर धारा 30 के तहत प्रकरण को पुनः नहीं खोला जा सकता है। तर्क के समर्थन में राजस्थान कर बोर्ड की एकलपीठ का वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-पंचम, जयपुर बनाम मैसर्स रामगोपाल सत्यनारायण आर.टी.आर. (2003) II-331, सहायक आयुक्त, संकर्म संविदा एवं पट्टा कर, कोटा बनाम मैसर्स मधुसूदन इंजीनियरिंग कं० (2013) 07 आर.जी.एस.टी.आर.-डी. 151, खण्डपीठ के निर्णय वाणिज्यिक कर अधिकारी, विशेष वृत्त-प्रथम, जयपुर बनाम मैसर्स लार्सन एण्ड ट्यूब्रो लिमिटेड (2012) 34 टैक्स अपडेट 196, माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के मैसर्स ब्लैक स्टोन रबर इण्डस्ट्रीज प्रा० लि० बनाम राजस्थान राज्य (2001) 124 एस.टी.सी. 130 उद्धरित किये हैं।

अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा जारी नोटिस में कर निर्धारण से छूटे हुए टर्नओवर के भाग को इंगित नहीं किया है। धारा 30 के तहत, धारा 29 में निर्धारित टर्नओवर को कर निर्धारण हेतु शामिल नहीं किया जा सकता।

अग्रिम कथन किया कि आलौच्य अवधि में कच्चे माल पर अधिसूचना दिनांक 28.9.95 के अनुसार अधिनियम की धारा 10(1) के अन्तर्गत 3 प्रतिशत में घोषणा-पत्र एस.टी.17 के समर्थन पर देय है, जो चुकाई जा चुकी है, फिर भी कर निर्धारण अधिकारी ने अन्तर कर मय अधिभार @1.15 प्रतिशत आरोपित किया है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि की गयी है। उनका कथन है कि ए.सी. प्रेशर पाईप्स को राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9.7.1998 द्वारा सशर्त करमुक्त किया गया है। माल राज्य में सामान्यतया करमुक्त नहीं होने की स्थिति में कच्चे माल पर रियायती दर ही देय है। तर्क के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टान्त उद्धरित किये हैं :-

- (i) (2004) 2 VAT Reporter 149 (SC)
Associated Cement Companies Ltd. Vs. State of Bihar and Ors.
- (ii) XXIII Tax World 398 A.C.T.O. Vs. Hindustan Granites
- (iii) (1995) 96 S.T.C. 355 (SC)
Comm. Sales Tax Jammu & Kashmir Vs. Pine Chemicals Ltd. & Others
- (IV) (1998) 69 S.T.C. 341 (Kerala)
Ragam Plastic and others Vs. Sales Tax Officer and others

अग्रिम कथन किया कि कर निर्धारण अधिकारी ने करमुक्त माल में से शाखा स्थानान्तरण के भाग पर अन्तर कर आरोपित करने का गणना गलत की है। कथनानुसार प्रस्तुत चार्ट में वर्ष 2002-03 में कुल करमुक्त माल की विक्रय में शाखा स्थानान्तरण का भाग 7.83% (कुल करमुक्त विक्रय - रुपये 1,34,22,586/- में शाखा स्थानान्तरण - रुपये 10,50,885/- किया गया है, जो कि 7.83% है।) इस आधार पर अतिरिक्त करारोपण वर्ष 2002-03 में रुपये 3,28,875/- पर किया जा सकता था, जबकि रुपये 7,41,580/- पर किया गया है। प्रस्तुत चार्ट अनुसार अतिरिक्त कर/अधिभार, ब्याज की गणना निम्न प्रकार होना बताया है :-

Particulars	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
Exempted Sale	4212960	17281712	58027989	89859086
% to be applied	7.83%	7.83%	7.83%	7.83%
Value on which tax is to be levied	329875	1353158	4543592	7035966
Tax Rate	1.15%	1.15%	1%	1%
Additional Tax	3794	15561	45436	70360
Interest	2656	8792	18174	19694
Total	6449	24353	63610	90054
Excess Levy	8049	30394	79380	112236

उक्त आधारों पर अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

प्रत्यर्थी के विद्वान उप-राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेशों तथा अपीलीय आदेशों का समर्थन करते हुए कथन किया कि नियमित कर निर्धारण अधिकारी ने मूल कर निर्धारणों में केवल शाखा स्थानान्तरण के मामलों में अन्तर कर व ब्याज आरोपित किया था। करमुक्त माल के विनिर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 28.9.95 से 3% की क्रय कर देयता केवल कर योग्य माल के विनिर्माण हेतु ही अनुज्ञेय है। अपीलार्थी द्वारा राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 9.7.98 के अन्तर्गत 50% या इससे अधिक फ्लाइऐश से निर्मित ए.सी. प्रेशर पाइप्स का निर्माण किया है, जो कि करमुक्त होने से क्रय कर 4% से देय है।

अग्रिम कथन किया कि अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक ने धारा 30 के तहत कर निर्धारण को अविधिक बताया है, जबकि प्रकरण में केवल मत भिन्नता के कारण प्रकरण नहीं खोला गया है। नियमित कर निर्धारण अधिकारी ने करमुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर करदेयता के विषय में आदेशों में कोई विवेचन नहीं किया है, इसलिए घोषणा पत्र एस.टी.17 के समर्थन से क्रय किये गये कच्चे माल पर अधिसूचना के आलोक में 4% से करदेयता बनने की स्थिति में यह टर्नओवर अन्तर कर आरोपण से बच गया है, जिसे धारा 30 के तहत पुनः खोला जाकर करारोपण किया जा सकता है।

इन आधारों पर अपीलीय आदेश की पुष्टि किये जाने व अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों तथा विधिक प्रावधानों का अवलोकन किया गया।

अधिनियम के प्रभाव में आने (1.10.1995) से पूर्व राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1954 की धारा 4(2) के तहत कच्चे माल के क्रय पर राज्य में विनिर्माण तथा घोषणा पत्र की शर्त पर 4% से करदेयता थी। राज्य सरकार की अधिसूचना एफ.4(11)एफडी/ग्रुप-IV/95-55 दिनांक 27.3.95 इस प्रकार है :-

S.No. 974 : F.(11)FDGr.IV/95-55 dated 27.03.1995

S.No.405.- In exercise of the powers conferred by S.4(2), RST Act, 1954, the State Govt. (.1.) hereby exempts from tax under the said Act, the sale to, or purchase by, a regd. dealer of raw material specified in his R.C. and required by him for use in the manufacture of goods for sale, to the extent to which the rate of tax in respect thereof exceeds 4%, on the following conditions, namely:-

लगातार.....5

1. That such raw material is used in the manufacture of goods within the state of Rajasthan.
2. That such manufacturer shall issue a declaration to this effect in form S.T.17 appended to RST Rules, 1955 to the selling dealer.

This shall have effect from 1.4.1995

अधिनियम की धारा 10(1) के तहत जारी अधिसूचना दिनांक 28.9.95 (प्रभावी दिनांक 1.10.95) भी उद्धरित करना समीचीन होगा -

S.No.1026 : F.4(25)FDGr.IV/92-Pt.II-20 dated 28-09-1995

In exercise of the powers conferred by S.10(1), RST Act, 1994, the State Govt. hereby notifies that the rate of tax payable on sale to or purchase by a registered dealer of any raw material, for the manufacture in the State of goods (other than exempted goods), for sale by him within the State or in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export outside the territory of India shall be at a concessional rate of 3%, on the condition that the buying dealer issues a declaration in form ST 17 to the selling dealer.

This shall have effect from 1st day of October, 1995.

अपीलार्थी द्वारा विनिर्मित करमुक्त माल से संबंधित अधिसूचना संख्या एफ.4(14)एफडी/टैक्स-डिवी./98-33 दिनांक 9.7.98 इस प्रकार है :-

S.No. 154 : F.(14)FD/Tax Div/98-33 dated 09.07.1998

S.O.131.-In exercise of the powers conferred by S.15, RST Act, 1994, and in supersession of the department notfns Nos. F.4(69)FD/Tax Div/95-38 (S.No.1043) and No.F4(69)FD/Tax Div/95-39 (S.No.1044) dated 15.03.1996, the State Govt. (.1.) hereby exempts from tax the sale of the products manufactured in the State by an industrial unit based on all kinds of stone slurry or fly ash as its main raw material on the condition that such slurry or fly ash shall constitute 50% or more in the contents of its manufactured products but in case of manufacturing or bricks, this limit shall be 25% or more in its contents.

This notification shall remain in force up to 31.03.2006.

इस अधिसूचना से स्पष्ट है कि अधिसूचना अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी की गई है तथा मुख्यतः फ्लाईऐश 50% व अधिक आधारित राज्य में विनिर्माण में रत इकाइयों के उत्पादों को बिक्री कर से मुक्ति दी गई है तथा यह करमुक्ति दिनांक 31.3.2006 तक प्रभावी रहेगी। अधिसूचना का आशय यह भी है कि राज्य के बाहर से ऐसे निर्मित उत्पादों के राज्य में विक्रय पर छूट नहीं होगी। चूंकि अधिसूचना अधिनियम की धारा 15 के तहत जारी है, इसलिए अन्तर्राज्यीय व्यवहार में विक्रय पर कर से छूट नहीं है।

उक्त अधिसूचनाओं के आलोक में यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा निर्मित उत्पाद सशर्त करमुक्त है।

अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का मुख्य तर्क रहा है कि राज्य में सामान्य तौर पर करमुक्त माल के निर्माण में प्रयुक्त कच्चे माल पर ही 4% से क्रय कर देयता है अन्यथा धारा 10(1) के अन्तर्गत अधिसूचनाओं में वर्णित शर्तों के अध्यक्षीन 3% से करदेयता विहित है। धारा 10(1) को भी उद्धरित करना समीचीन होगा :-

Sec 10. Levy of tax on raw material and processing articles-

(1) Notwithstanding anything contained in section 4, but subject to such restrictions and conditions as may be prescribed, the rate of tax payable on the sale to or purchase by a registered dealer of any raw material for the manufacture in the State of goods for sale by him within the State or in the course of inter-State trade or commerce or in the course of export outside the territory of India shall be at such concessional rate as may be notified by the State Government.

इस प्रावधान अनुसार कुछ बंधनों व शर्तों के अध्यक्षीन कच्चे माल के प्रयोग पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना के तहत क्रय-विक्रय पर रियायती दर प्रभावी होगी। इस प्रावधान के तहत उक्त अधिसूचना दिनांक 28.9.95 जारी की गई है, जो कि 1.10.95 से प्रभावी थी।

अपीलार्थी द्वारा निम्न न्यायिक दृष्टान्तों का अवलम्बन लिया गया है -


(2004) 2 वेट रिपोर्टर 149 (एस.सी.)

प्रकरण में झारखण्ड राज्य द्वारा जारी औद्योगिक नीति के तहत याची फर्म एसोसियेटेड सीमेंट कं० लि० द्वारा करमुक्ति चाही गई थी तथा Bihar Tax on Entry of Goods into Local Area for Consumption, use or sale therein Act 1993 के तहत चुकाये गये प्रवेश कर का अधिनियम की धारा 3 (Charge of Tax) को उपधारा (2) के परंतुक द्वितीय अनुसार बिहार फाइनेंस एक्ट 1981 के तहत देय कर में से समायोजन चाहा गया था। चूंकि याची के उत्पाद करमुक्त थे, इसलिए निर्धारण अधिकारी ने चुकाये गये प्रवेश कर का समायोजन अस्वीकार किया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि -

"The liability to pay tax and actual payment of tax are conceptually different. Exemption pre-supposes the liability. Unless there is a liability, the question of exemption does not arise. Therefore while working out the tax payable under the Act, the assessee is entitled to reduction to the extent of tax paid under the Entry Tax Act even in respect of exempted goods.

लगातार.....7

h



28 टैक्स वर्ल्ड 398

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की बिक्री कर प्रोत्साहन योजना 1987 के तहत उत्पादित माल के साथ बिक्रीत पैकिंग सामग्री की बिक्री पर करदेयता का/कर छूट का बिन्दु विवादित था। माननीय न्यायालय ने प्रोत्साहन योजना के तहत ईकाई को छूट प्राप्त होने, उत्पाद करयोग्य होने तथा पैकिंग सामग्री की बिक्री विक्रय योग्य नहीं होने के कारण पैकिंग सामग्री भी करमुक्त होना निर्णीत किया है।

(1995) 96 एस.टी.सी. 355 (एस.सी.)

प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष जम्मू एण्ड कश्मीर सामान्य बिक्री कर अधिनियम 1962 के तहत राज्य में वृहद व मध्यम श्रेणी की औद्योगिक इकाईयों को राज्य में 5 वर्ष तक बिक्री पर छूट प्रदान करने को केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(2-ए) के तहत छूट योग्य नहीं माना है, क्योंकि राज्य में इन उत्पादों पर बिक्री कर छूट 'सामान्यतया' नहीं थी। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा 8(2-ए) के तहत वे वस्तुएं ही करमुक्त हैं, जिन्हें स्थानीय बिक्री कर विधान में सामान्यतया (Generally) छूट है। राज्य में सशर्त छूट वाली वस्तुओं पर केन्द्रीय अधिनियम के तहत छूट स्वीकार योग्य नहीं है, निर्णय का सुसंगत अंश इस प्रकार है :-

"Exemption from Central sales Tax under section 8(2-A) of the Central Sales Tax Act 1956, of the sale or purchase of goods is available only where the sale or purchase of such goods is exempt "generally" under the State sales tax law. The court must give due regard and attach due meaning to the expression "generally" in section 8(2-A) which expression has been defined in the Explanation thereto. Section 8(2-A) requires specifically that such exemption must be a general exemption and not an exemption operative in specified circumstances or under specified conditions. General exemption means that the goods are totally exempt from tax. Where the exemption from taxation is conferred by conditions or in certain circumstances there is no exemption from tax generally."

(1988) 69 एस.टी.सी. 341 (केरल)

माननीय केरल उच्च न्यायालय ने केरल बिक्री कर अधिनियम के तहत कच्चे माल पर छूट उन उत्पादों पर भी निर्णीत की है, जिनसे निर्मित माल पर किसी अधिसूचना के तहत विक्रय पर सशर्त छूट दी गई है। निर्णय का सुसंगत अंश उद्धरित करना समीचीन होगा :-




"....that the incidence of taxation under the Kerala General Sales Tax Act was on the sale or purchase of goods and the levy was on the taxable turnover. The sale of the finished goods referred to in the first proviso to section 5(3) did not cease to be liable to tax by reasons of the partial exemption granted by Notification SRO No. 968/80 dated 29th September, 1980. The mere fact that in the computation of tax payable by the petitioners, the benefit of exemption would be available to them as small-scale industrial units, was not a ground to hold that sales of their finished products were not liable to tax under the Act. The petitioners were, therefore, entitled to the concessional rate of tax claimed by them under section 5(3) of the Act."


उक्त निर्णयों के आलोक में इस पीठ के मत में अपीलार्थी द्वारा क्रीत कच्चे माल पर अधिसूचना दिनांक 28.9.95 के तहत 3% से क्रय कर देयता विधिसम्मत है। अधिसूचना में वर्णित करमुक्त से अतिरिक्त माल से तात्पर्य अधिनियम के तहत सामान्यतया करमुक्त माल से है। इसलिए अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार योग्य है।


अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक का यह भी तर्क है कि कर निर्धारण अधिकारी ने मत भिन्नता के आधार पर धारा 30 के तहत कर निर्धारण आदेश पारित किये हैं। तर्क उचित प्रतीत नहीं होता, क्योंकि नियमित कर निर्धारण अधिकारी ने करमुक्त माल के सम्बन्ध में क्रीत कच्चे माल पर करदेयता अधिसूचना दिनांक 28.9.95 के अनुसार होने का विवेचन पूर्व नियमित कर निर्धारण आदेश दिनांक क्रमशः 30.7.2004; 28.5.2005; 5.6.2006 व 16.1.2007 में नहीं किया था। इसलिए यह केवल मत भिन्नता का प्रकरण नहीं है। इस सम्बन्ध में तर्क खारिज किया जाता है।

जहां तक अतिरिक्त कर की गणना का प्रश्न है, अब सार्थक नहीं रह जाता है, जब अन्तर कर को ही अपास्त कर दिया गया है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की अपीलें स्वीकार की जाती हैं तथा कर निर्धारण अधिकारी के पृथक-पृथक पारित किये गये आदेश दिनांक 6.2.2008 व अपीलीय आदेश दिनांक 30.10.2009 अपास्त किये जाते हैं।

निर्णय सुनाया गया ।


(मदन लाल)
सदस्य


(ज. आर. लोहिया)
सदस्य